बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति

जिला परिषद परिसर, पूर्णियाँ पिन संख्या– 854301

Tele-06454-243081 email- mdmpurnea@gmail.com

निविदा आमत्रण सूचना

निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना बिहार, पटना के पत्रांक–2226, दिनांक–20.11.2017 एव प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग बिहार, पटना के पत्रांक–1218, दिनांक–10.07.2018 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के लिए मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत राज्य खाद्य निगम के गोदाम से खाद्यान्न उठाव कर विद्यालयों तक पहुँचाने हेतु जिले के 12 (बारह) प्रखण्डों (यथा–वैसा, अमौर, वायसी, पूर्णियाँ पूर्व, कसबा, जलालगढ़, श्रीनगर, के0नगर, बनमनखी, भवानीपुर, रूपौली एवं बी0कोठी) एवं 01 (एक) नगर निगम पूर्णियाँ के लिए प्रखण्डवार संवेदक के चयन हेतु निविदा प्रकाशित की जाती है । निविदा की सूचना प्रकाशन के तीन सप्ताह के अंदर निविदा निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, पूर्णियाँ के नाम से जिला परिषद परिसर, पूर्णियाँ पिन–854301 के पते पर संध्या 05:00 बजे तक प्राप्त किया जायेगा । समयावधि समाप्ति के उपरान्त निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

संवेदक के रूप में चयन एवं कार्य की शर्त्त निम्नवत् होगी :–

1. निविदादाताओं को 14 पंचायत तक के प्रखण्ड हेतु 05 टैक्ट्रर/पिकअप/अन्य छोटी वाहन एवं 15 पंचायत से अधिक के लिए 08 टैक्ट्रर/पिकअप/अन्य छोटी वाहन, वाहन की उपलब्धता का लिखित एकरानामा प्रस्तुत करना होगा कि चयन होने की स्थिति में वे वाहन मालिक अपने टैक्ट्रर/पिकअप/अन्य छोटी वाहन को उस प्रखण्ड में मध्याह्न भोजन योजना के खाद्यान्न उठाव/वितरण हेतु उपलब्ध कराएगें। इनमें से दो वाहन स्वयं निविदादाता के नाम से होना अनिवार्य होगा तथा शेष वाहनों का एकरारनामा खाद्यान्न उठाव एवं वितरण हेतु उपलब्ध करायेगें । एकरारनामा 1,000.00 (एक हजार रू0) के मुद्रांक पर किया जाना अनिवार्य होगा । प्रखण्ड के पंचायतों की संख्या कोष्टक में अंकित है :– अमौर (25), कसबा (13), के0नगर (18), जलालगढ़ (10), वैसा (16), वायसी (17), पूर्णियाँ पूर्व (14), भवानीपुर (14), श्रीनगर (9), बनमनखी (27), बी0कोठी (19), रूपौली (20) एवं नगर निगम पूर्णियाँ (46 वार्ड)
2. निविदादाताओं को 50,000.00 (पचास हजार रू0) अर्नेष्ट मनी (ड्राफ्ट) के रूप में जमा करना होगा, ("बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, पूर्णियाँ" के नाम से देय होगा) जो संवेदक के रूप में चयन हो जाने से सेवा जारी रहने तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना के कार्यालय में जमा रहेगा ।
3. जिन निविदादाताओं का संवेदक के रूप में चयन नहीं हो पायेगा वैसे निविदादाताओं को एक माह के अन्दर अर्नेष्ट राशि का चेक/ड्राफ्ट वापस कर दिया जाऐगा ।
4. समय पर कार्य करने में असफल होने/किसी भी प्रकार के आरोप प्रमाणित होने अथवा असंतोषजनक कार्य पर संवेदक की अग्रिम सुरक्षित जमा जब्त कर दी जायेगी।
5. निविदादाताओं को पुलिस अधीक्षक/अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र जो तीन माह के अंदर निर्गत हो समर्पित करना अनिवार्य होगा ।
6. संवेदक को चावल ढुलाई हेतु जब भी बुलाया जाएगा, अपेक्षित संख्या में संबंधित माल ढुलाई के वाहन को लेकर एस0एफ0सी0 (राज्य खाद्य निगम) के गोदाम पर आना होगा ।
7. ससमय खाद्यान्न ढुलाई नहीं करने या अपेक्षित संख्या में वाहन नहीं लाने या चावल की अनियमितता में विद्यालय के प्रभारी के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संलिप्त रहने पर संवेदक का एकरारनामा रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई किया जायेगा ।
8. किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी एक ही प्रखण्ड के लिए निविदा स्वीकार्य होगा । एक से अधिक प्रखण्ड के लिए निविदा मान्य नहीं होगा । निविदा हेतु एक से अधिक प्रखण्ड का Option (विकल्प) देने पर निविदा को नियमानुसार नहीं मानते हुए निविदा प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा ।
9. संवेदक चयन होने पर ढुलाई हेतु एकरारनामा वाले वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा । ढुलाई कार्य में प्रयुक्त वाहनों पर मध्याह्न भोजन योजना लिखा हुआ पेंट कराना अनविर्य होगा । वाहन पर पेंट से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना एवं उक्त प्रखण्ड के प्रखण्ड साधन सेवी का मोबाईल नं0 जिला कार्यालय का दूरभाष संख्या भी लिखा होना अनिवार्य रहेगा ।

10. प्रत्येक निविदादाताओं को इस आशय का शपथ पत्र नोटरी से कराकर निविदा में संलग्न करना होगा, कि "मैं कोई निर्वाचित जन प्रतिनिधि/जन वितरण प्रणाली का दुकानदार/सरकारी सेवक/बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना का कर्मी नहीं हूँ एवं मेरे निकटतम परिवार में कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि/जन वितरण प्रणाली के दुकारनदार/बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना के कर्मी नहीं है । उक्त शर्त्त में किसी भी स्तर से गलत पाये जाने पर निविदा रद्द कर दिया जायेगा ।
11. प्रत्येक निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र नोटरी से कराकर उसकी मूल कॉपी निविदा में संलग्न करना होगा कि "वह कहीं से काली सूची (Black Listed) में नहीं है तथा उसके द्वारा जमा किये गये सभी कागजात की सूचना सही है । गलत सूचना देने या गलत कागजात जमा करने पर चयनित निविदादाता का चयन रद्द करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी ।
12. राज्य खाद्य निगम से FAQ (Fair average Quality) गुणवतापूर्ण चावल का ही उठाव करना होगा । जिला कार्यालय द्वारा विद्यालय तक खाद्यान्न पहुँचाने हेतु रूट चार्ट तैयार किया जायेगा । रूट चार्ट के अनुसार ही उक्त तिथि को ससमय विद्यालय में संवेदक खाद्यान्न उपलब्ध करायेंगे ।
13. वाहन एकरारनामा से संबंधित वाहनों के सभी आवश्यक कागजात–यथा ऑनरबुक, इन्श्योरेंस, टैक्स टोकन, परमिट, प्रदूषण, फिटनेश एवं अन्य की छायाप्रति स्वअभिप्रमाणित कर निविदा में संलग्न करना आवश्यक होगा । वाहन से संबंधित कागजात अप्राप्त रहने या अद्यतन नहीं रहने या किसी प्रकार की त्रुटि रहने पर एकरारनामा मान्य नहीं समझा जाएगा । जिला मध्याह्न भोजन योजना कार्यालय द्वारा वाहन के कागजातों की जॉच जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यालय से कराना होगा कि ये सभी वाहन व्यवसायिक कार्य उपयोग में लिये है ।
14. निविदादाता को आवेदन के साथ अपना हाल का खींचा हुआ 03 तीन कलर फोटो/ID Proof/आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति निश्चित रूप से संलग्न करना होगा ।
15. संवेदक को Weighing मशीन से तौल कर विद्यालयों में खाद्यान्न उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।
16. सभी अर्हताएँ समान होने पर निविदादाताओं का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा ।
17. संवेदक के चयन मुक्त होने, त्यागपत्र देने या अन्य कारणों से हटाये जाने पर (जैसे प्राथमिकी दर्ज हो जाने पर) उस प्रखण्ड में खाद्यान्न उठाव एवं वितरण का कार्य नये संवेदक के चयन होने तक प्रखण्ड साधन सेवी/प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से किया जायेगा । वाहन की व्यवस्था प्रखण्ड साधन सेवी/प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से करेंगे । जिस वाहन से खाद्यान्न की ढुलाई करेंगे उस वाहन से संबंधित सूचना (वाहन मालिक का नाम, पता एवं वाहन का प्रकार) जिला कार्यालय, मध्याह्न भोजन योजना को उपलब्ध करायेंगे ।
18. संवेदक द्वारा खाद्यान्न का कालाबाजारी करने/विद्यालय तक खाद्यान्न पहुँचाने के दौरान दुर्धटना या अन्य किसी कारण से खाद्यान्न बर्बाद होने या चोरी होने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी । साक्ष्य प्राप्त होने की स्थिति में बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपेारेशन लिमिटेड द्वारा निर्धारित दर के अनुसार आर्थिक दण्ड लगाते हुए राशि की वसूली किया जायेगा एवं नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा ।
19. चावल का उठाव प्रखण्ड साधन सेवी तथा संवेदक संयुक्त हस्ताक्षर से करेंगे । मात्रा तथा गुणवत्ता के लिये प्रखण्ड साधन सेवी एवं संवेदक संयुक्त रूप से जिम्मेवार होंगे । राज्य खाद्य निगम के गोदाम से चावल निर्धारित मात्रा में उठाव कर विद्यालय के स्टोर तक पहुँचाने की जिम्मेवारी संवेदक/प्रखण्ड साधन सेवी की होगी । इसमें प्रयुक्त होने वाले वाहन, ईधन, लगने वाली मजदूरी, हथालन व्यय आदि की सारी व्यवस्था संवेदक द्वारा की जाएगी । SIO के आधार पर प्रखण्ड साधन सेवी तथा संवेदक दोनों अपने संयुक्त हस्ताक्षर से राज्य खाद्य निगम के गोदाम से मध्याह्न भोजन योजना के लिये खाद्यान्न का उठाव करेंगे । प्रखण्ड साधन सेवी द्वारा प्रत्येक माह की 18 वीं0 तारीख तक संवेदक को विद्यालय में खाद्यान्न की आवश्यकता आधारित एक वितरण सूची उपलब्ध कराया जाएगा । जिसके आधार पर विद्यालयों में संवेदक द्वारा माह की 22 से 30 तारीख तक खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा । प्रखण्ड साधन सेवी द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा प्राप्त किये गये खाद्यान्न को सत्यापित करते हुए प्रखण्ड स्तर पर विद्यालयों में खाद्यान्न प्राप्ति सूची को समेकित कर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन येाजना को अगले माह की 10 वीं0 तारीख तक उपलब्ध कराया जाएगा । जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना विद्यालय में खाद्यान्न वितरण सूची के आधार पर संतुष्ट होने के उपरान्त संवेदक को परिवहन–सह–हथालन मद में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर पर माह के 15 वीं0 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे ।

20. चयनित निविदादाता के साथ एकरारनामा एकबार में अधिकतम दो वर्ष तक के लिए ही किया जाऐगा । संवेदक के असफल होन या असंतोषजनक कार्य करने की स्थिति में एकरारनामा किसी भी समय रद्द किया जा सकता है । जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, असफल होने या असंतोषजनक कार्य करने का कारण सहित चयन समिति के समक्ष उपस्थापित करेंगे । चयन समिति का अंतिम निर्णय मान्य होगा ।
21. एक चयनित संवेदक से दो वर्ष तक ही कार्य लिया जाएगा तथा दो वर्ष के बाद अवधि विस्तार नहीं किया जायेगा ।
22. निविदादाता मूल रूप से बिहार के निवासी होना चाहिए ।
23. संवेदक का चयन जिस प्रखण्ड के लिए किया जायेगा, उनके कार्यकाल की गणना उक्त प्रखण्ड के लिए ही मान्य होगा ।
24. आवेदक को संवेदक चयन हेतु संलग्न आवेदन सह धोषण प्रपत्र में सभी कंडिकाओं को पूर्ण रूपेण भरकर वांछित कागजात संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
25. आवेदक को लिफाफा के ऊपर आवेदित प्रखण्ड का नाम, ई–मेल आई0डी0, पता एवं मोबाईल संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा ।
26. निविदा को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार जिलास्तरीय चयन समिति के अध्यक्ष को होगा ।
27. चयनित संवेदक द्वारा खाद्यान्न का उठाव कर वितरण किये जाने वाले वाहन में निदेशालय द्वारा चयनित एजेन्सी से पत्रांक–481, दिनांक–16.03.2018 के आलोक में GPS अपने स्त्रोत से लगाना होगा।

13.7.17

जिला पदाधिकारी
पूर्णियाँ।